



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122025-268935
CG-DL-E-30122025-268935

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5885]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 2025/पौष 8, 1947

No. 5885]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 2025/PAUSHA 8, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6085(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले में NH 169 (Old NH 13) के कि.मी. 691.350 से कि.मी. 736.362 (ऑफिस ऑफ़ विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, मंगलौर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3सी की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, मंगलौर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3सी की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले में NH169(Old NH13) के कि.मी. 691.350 से कि.मी.736.362 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: उडुपी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: करकला (T)					
गांव का नाम: सेनूर (CT)					
1	166/12	निजी	ड्राई	97 (वर्ग मीटर)	0.0097
2	166/3A2	निजी	नॉन एग्रीकल्चर/रेसिडेंशियल	36 (वर्ग मीटर)	0.0036
3	166/3A6	निजी	ड्राई	243 (वर्ग मीटर)	0.0243
4	166/4	निजी	ड्राई	212 (वर्ग मीटर)	0.0212
5	166/5	निजी	ड्राई	40.47 (वर्ग मीटर)	0.004047
6	166/8	निजी	ड्राई	109 (वर्ग मीटर)	0.0109
7	166/9	निजी	ड्राई	105 (वर्ग मीटर)	0.0105
8	170/11	निजी	ड्राई	1214 (वर्ग मीटर)	0.1214
9	170/12	निजी	ड्राई	26 (वर्ग मीटर)	0.0026
10	170/2	निजी	ड्राई	81 (वर्ग मीटर)	0.0081
11	170/2	निजी	ड्राई	81 (वर्ग मीटर)	0.0081
12	170/3	निजी	नॉन एग्रीकल्चर/कमर्शियल	162 (वर्ग मीटर)	0.0162
13	170/4	निजी	ड्राई	607 (वर्ग मीटर)	0.0607
14	170/5	निजी	ड्राई	162 (वर्ग मीटर)	0.0162
15	170/6	निजी	नॉन एग्रीकल्चर/कमर्शियल	364 (वर्ग मीटर)	0.0364
16	170/6	निजी	ड्राई	324 (वर्ग मीटर)	0.0324
17	170/7	निजी	ड्राई	1574 (वर्ग मीटर)	0.1574
18	170/8	निजी	ड्राई	40.47 (वर्ग मीटर)	0.004047
19	376/1	निजी	ड्राई	607 (वर्ग मीटर)	0.0607
20	376/2	निजी	ड्राई	202 (वर्ग मीटर)	0.0202
Total					0.628694

[फा. सं. 13011/1/2013/PIU-Mangalore/Shimoga-Mangalore Section/3A2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2025

S.O. 6085(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH169(Old NH13) in the stretch of land from Km. 691.350 to Km. 736.362 (office of Special Land Acquisition Officer, Mangalore) in the district of UDUPI in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer, Clock Tower, Hampankatta, Mangaluru, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of Sannur to Bikarnakatte section from Existing Km 691.350 to Km. 736.362 of NH-169 (Old NH-13) under Bharathmala Pariyojana on Hybrid Annuity Mode in the District of UDUPI in the state of KARNATAKA (Package-III).

State: KARNATAKA			District: UDUPI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Karkala (T)					
Village: Sanoor (CT)					
1	166/12	Private	Dry	97 (Square Meter)	0.0097
2	166/3A2	Private	Non Agriculture/Residential	36 (Square Meter)	0.0036
3	166/3A6	Private	Dry	243 (Square Meter)	0.0243
4	166/4	Private	Dry	212 (Square Meter)	0.0212
5	166/5	Private	Dry	40.47 (Square Meter)	0.004047
6	166/8	Private	Dry	109 (Square Meter)	0.0109
7	166/9	Private	Dry	105 (Square Meter)	0.0105
8	170/11	Private	Dry	1214 (Square Meter)	0.1214
9	170/12	Private	Dry	26 (Square Meter)	0.0026
10	170/2	Private	Dry	81 (Square Meter)	0.0081
11	170/2	Private	Dry	81 (Square Meter)	0.0081
12	170/3	Private	Non Agriculture/Commercial	162 (Square Meter)	0.0162

13	170/4	Private	Dry	607 (Square Meter)	0.0607
14	170/5	Private	Dry	162 (Square Meter)	0.0162
15	170/6	Private	Non Agriculture/Commercial	364 (Square Meter)	0.0364
16	170/6	Private	Dry	324 (Square Meter)	0.0324
17	170/7	Private	Dry	1574 (Square Meter)	0.1574
18	170/8	Private	Dry	40.47 (Square Meter)	0.004047
19	376/1	Private	Dry	607 (Square Meter)	0.0607
20	376/2	Private	Dry	202 (Square Meter)	0.0202
Total					0.628694

[F. No. 13011/1/2013/PIU-Mangalore/Shimoga-Mangalore Section/3A2]

SHAIKH AMINKHAN, Director